भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 205

उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024

सोमवार, 4 अग्रहायण 1946 (शक)

जन शिक्षण संस्थान कार्यक्रम

205. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) कार्यक्रम के उद्देश्यों और लक्षित लाभार्थियों सहित इसकी कोई रूपरेखा उपलब्ध करा सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) जन शिक्षण संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पहलों का ब्योरा क्या है और इन पहलों से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है;

(ग) क्या सरकार तमिलनाडु सहित देश भर में इस समय चल रहे जन शिक्षण संस्थानों की संख्या और इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की कुल संख्या के संबंध में आंकड़े साझा कर सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) इस जन शिक्षण संस्थान के प्रतिभागियों की नियोजनीयता और आय-सृजन क्षमता में सुधार लाने में इसकी प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए किए गए उपायों का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की जन शिक्षण कार्यक्रम की पहुंच में वृद्धि करने की योजना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेषकर ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में और अधिक व्यक्ति व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों का लाभ उठा सकें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम, जिसे शुरू में 1967 में श्रमिक विद्यापीठ (एसवीपी) के रूप में शुरू किया गया था, का उद्देश्य भारत सरकार से 100% अनुदान के साथ पंजीकृत सोसायटियों (एनजीओ) के माध्यम से लाभार्थी के दरवाजे पर गैर-औपचारिक तरीके से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस स्कीम का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्व/वैतनिक रोजगार को बढ़ावा देकर घरेलू आय में वृद्धि करना है। जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के निरक्षर, नव-साक्षर और 8वीं कक्षा तक की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त

व्यक्तियों और 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है।

(ख) जेएसएस कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे व्यावसायिक और कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए रोजगार भूमिकाएं **अनुबंध I** में दी गई हैं। पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में तकनीकी और रोजगारपरक कौशल का मिश्रण है, जो हाशिए पर पड़े समुदायों को लाभकारी स्व/मजदूरी रोजगार के लिए उपयोग किए जाने वाले कौशलों को सीखने में सक्षम बनाता है।

(ग) वर्तमान में, तमिलनाडु सहित देश भर में 289 जन शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं और 10 नवंबर 2024 तक कुल 27,35,435 लाभार्थियों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

(घ) जेएसएस स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जेएसएस स्कीम की निगरानी समय-समय पर दौरे, नियमित बैठकों और ऑनलाइन स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल के माध्यम से की जाती है। राज्य स्तर पर, निगरानी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तृत मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा की जाती है। इसके अलावा, संबंधित जेएसएस का प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) भी समय-समय पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

(ड़) 26 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित जेएसएस आकांक्षीय, पिछड़े, पहाड़ी/आदिवासी, द्वीपीय और अन्य जिलों में लाभार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जो विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

अनुबंध-I

क्र.सं.	क्षेत्र	जॉब रोल
1	परिधान मेड-अप और होम फर्निशिंग	सहायक ड्रेस मेकर
2	ऑटोमोटिव	सहायक - दो/तीन पहिया वाहन मैकेनिक
3	सौंदर्य और कल्याण	ब्यूटी केयर सहायक
4	पूंजीगत सामान और विनिर्माण	सहायक वेल्डर और तकनीशियन
5	घरेलू कर्मचारी	घरेलू देखभाल परिचर
6	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	सहायक विद्युत तकनीशियन
7	खाद्य प्रसंस्करण	सहायक- फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण
8	आईटी-आईटीईएस	सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर
9	प्लंबिंग	सहायक - प्लंबिंग और स्वच्छता कार्य
10	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	सहायक- वायरमैन
11	हस्तशिल्प और कालीन	सहायक कालीन बुनकर- गाँठदार
12	हस्तशिल्प और कालीन	सहायक- जूट शिल्प उत्पाद निर्माता
13	वस्त्र और हथकरघा	सहायक कपड़ा प्रिंटर
14	हस्तशिल्प और कालीन	सहायक हाथ कढ़ाई - (फुलकारी / चिकनकारी / कश्मीरी / ज़री ज़रदोज़ी / कांथा)
15	हस्तशिल्प और कालीन	सहायक कारीगर- बांस शिल्प
16	हस्तशिल्प और कालीन	स्ट्रिंगिंग / बीडिंग कारीगर (फ़ैशन आभूषण)
17	खनन	सहायक भूमिगत खदानें
18	पर्यावरण विज्ञान	सौर पीवी परियोजना सहायक
19	ऑटोमोटिव	ड्राइविंग सहायक
20	संगठित खुदरा	खुदरा कैशियर
21	पैनिट्स और कोटिंग्स	पेंटिंग सहायक
22	रबर उद्योग	प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक्करणकर्ता
23	लकड़ी और बढ़ईगीरी	सामान्य सहायक- फर्नीचर और फिटिंग इंस्टालेशन
24	चमड़ा	हेल्पर-फुटवियर अपर मेकिंग
25	परिधान, मेड-अप और होम फर्निशिंग	लेयरमैन

**वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डेटा 10-11-2024 तक*

*****